

मेरे द्वारा दिनांक 09.08.2023 को मेरठ जाने एवं वापरा आने के लिए सरकारी यात्रा संख्या UP70AG-2010 से जाने हेतु अनुमति पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त अनुक्रम में कुल 464 किमी की यात्रा की गई। जिसमें से 200 किमी, की शूट माह अगस्त 2023 में काटने के उपरान्त 264 किमी का किराया मुद्रा 03 रुपये प्रति किमी की दर से कुल 792/- रुपये भारतीय स्टेट बैंक में दिनांक 17.08.2023 को चालान संख्या HH00017 से जमा कर दिये गये हैं।

जमा की गयी धनराशि के बैंक चालान की प्रति संलग्न है।

कोषागार प्रपत्र-209 (1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2

प्रपत्र संख्या-43 ए (1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा

- जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम :

- पता :

- पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या :
(यदि आवश्यक हो)

- जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण :
(धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है।)

- चालान की सकल राशि :

- चालान की निवल राशि :

- लेखाशीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखाशीर्षक की मुहर :

- लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड :

मुख्य लेखा-शीर्षक	उप मुख्य-शीर्षक	लघु-शीर्षक
0070	60	800

भारतीय स्टेट बैंक, 2023 शाही नंबर
उत्तर प्रदेश सरकार

प्रधान पात्रवाल-मामला, नंबर

21 सभी वाहन प्रमोग वनरी, 2023
उत्तर प्रदेश सरकार
रु 792/-
रु 792/-
007060800050000

धनराशि (अंकों में)
Rs 792/-
/
1s 792/-

चालान में लेखाशीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

प्रधान न्यायालय

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

पुरिवार न्यायालय मुम्हीन

16.8.23

केवल उपकोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या :

HH00017

अंकों में रु०
शब्दों में रु०

दिनांक :

792/-

16.8.23

प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार/
बैंक की मुहर सहित